



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2014-16 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र छात्र-छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञापित संख्या - 52/2015

एतद् द्वारा सभी अंगीभूत/डिग्री संबद्ध/इंटर प्रस्वीकृत महाविद्यालय/+2 विद्यालय से केवल स्वतंत्र रूप से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र छात्र/छात्राओं का पंजीयन-सह-अनुमति प्रपत्र परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करने की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

विलम्ब शुल्क रहित :- 28.09.2015 से 30.09.2015 को अपराह्न 5 बजे तक।

विलम्ब शुल्क सहित :- 08.10.2015 को 5 बजे अपराह्न तक।

सादा OMR Sheet संबंधित परिषद् कार्यालय से निर्धारित शुल्क ₹70/- प्रति छात्र जमा कर दिनांक 22.09.2015 से 26.09.2015 तक प्राप्त की जा सकती है।

विहित शुल्क

1. पंजीयन शुल्क : ₹175/- प्रति छात्र/छात्रा
2. पंजीयन विलम्ब शुल्क : ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा
3. अनुमति शुल्क : ₹500/- प्रति छात्र/छात्रा
4. अनुमति विलम्ब शुल्क : ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा
5. आव्रजन शुल्क : ₹110/- प्रति छात्र/छात्रा
6. आव्रजन विलम्ब शुल्क : ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा

सभी विहित शुल्क MICR बैंक ड्राफ्ट के द्वारा "झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल फण्ड" राँची के नाम से देय एवं राँची में भुगतये, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल फण्ड" दुमका के नाम से देय एवं दुमका में भुगतये तथा पलामू प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल फण्ड" डाल्टेनगंज के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतये होगा। नगद भुगतान अथवा जाक द्वारा भेजा गया पंजीयन आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
नोट:- वर्ष 2016 की इंटर परीक्षा में निर्मांकित छात्र/छात्राएँ ही स्वतंत्र छात्र के रूप में बैठ सकते हैं:-

- (1) प्रस्वीकृत संस्था में कार्यरत शिक्षक जो वर्ष 2014 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे शिक्षक को संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक होने का निर्गत प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- (2) महिला एवं विकलांग छात्र, जो वर्ष 2014 एवं उसके पूर्व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे महिला एवं विकलांग छात्र को इस आय का घोषणा पत्र देना होगा कि वे विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन अमुक व्यक्ति के निर्देश में किया है और अमुक कारणों से वे इंटर के नियमित रूप से प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं।
- (3) पुरूप छात्र भी पंजीयन करा सकते हैं, वे वर्ष 2014 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्र जिन कारणों से वे प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं, उससे सम्बन्धित स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। स्वतंत्र रूप से कोई छात्र प्रायोगिक विषय के साथ विज्ञान संकाय में परीक्षा में नहीं बैठ सकता है, जबतक वह परिषद् द्वारा प्रस्वीकृत संस्था में नियमित रूप से अध्ययन न किया हो और उसे इसके समर्थन में परिषद् को आश्चर्य करने हेतु एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। परन्तु गृह विज्ञान/संगीत के प्रायोगिक परीक्षा के लिये उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा में भूगोल विषय रखने के लिये उसे प्रस्वीकृत संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उसने संस्था से 6 माह का नियमित प्रायोगिक कोर्स/कार्य पूरा किया है।

उपर्युक्त कोटि के परीक्षार्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र के साथ उल्लिखित वर्ष या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(मोहन चाँद मुक्तिम)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञापित/4290/10/SECY/295/15

Dt. 18.09.2015

D.O.P : 19.09.2015

size: 8x19